

pan>

Title: Introduction of the Compulsory Teaching of Sanskrit Language in Schools Bill, 2017.

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत के शिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the teaching of Sanskrit as a compulsory language in schools."

*The motion was adopted.*

श्री ए.टी.नाना पाटील : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।